

विज्ञप्ति

पुलिस कर्मियों के बीमा कराने हेतु आमंत्रित करने की सूचना

नक्सलवाद प्रभावित जनपद, सोनभद्र मिर्जापुर व चन्दौली में नियुक्त 3000 पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ/जीआरपी के 4548 कर्मियों के लिए लिए दुर्घटना बीमा योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या:12/ए-दु0बी0यो0-2016 दिनांक 17.10.2016 द्वारा बीमा कम्पनियों/एजेन्सियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं, चूँकि यह योजना आपरेशनल क्षेत्र विशेष जहाँ बलों की कम्पनियां बदलती रहती है, के लिए है, इसलिए एक-एक बीमित व्यक्ति का डाटा देना सम्भव नहीं है, अपितु वीमित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर बीमा का प्रीमियम दिया जायेगा, पालिसी की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। इच्छुक बीमा कम्पनी अपना प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 05.12.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे तक अपर पुलिस अधीक्षक,भवन/कल्याण के कक्ष में रखे टेण्डर बाक्स में डाल सकते हैं। डाक से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव निर्धारित तिथि व समय तक पुलिस मुख्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। डाक में विलम्ब का दायित्व पुलिस मुख्यालय का नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में यदि किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीया,

(ममता रानी चौधरी)

अपर पुलिस अधीक्षक,भ0/क0,
नि0 पुलिस महानिरीक्षक,मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।